


अपील(सू.का.अ)संख्या 188/2025 बउनवानी कैलाश नारायण बनाम उप जिला कलेक्टर खण्डार
पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा नि0 गीता भवन के पास शहर स0मा0
GCMS No-2025/364

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
18.12.2025	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.07.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "पट्टा एवं पट्टा से संबंधित दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने बावत" उप जिला कलेक्टर खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:-सूकाअ/अपील/25/2202 दिनांक 11.12.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 24.07.2025 में चाही गयी सूचना का संबंध में नगरपालिका गंगापुर सिटी से होने के कारण प्रार्थना पात्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय से नहीं होने के कारण अपीलान्त को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं,कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.07.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का नगर पालिका खण्डार से होने के कारण उक्त सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय से उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है तथा अधिशाषी अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपील की सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः अपीलान्त सक्षम ऑथर्टी के समक्ष अपील प्रस्तुत करे। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज की जात है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>	


(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर